



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक: 03/03/2022

क्रमांक: प.17(1)एमई/ग्रुप-1/2018

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
चिकित्सा महाविद्यालय,
जोधपुर, बीकानेर, अजमेर,
कोटा, उदयपुर, जयपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 15 की क्रियान्विति में सुपर स्पेशियलिटी विंग हेतु नवीन पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 15 की क्रियान्विति में चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी की स्थापना हेतु निम्नांकित नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

कॉलेज का नाम	विभाग	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	सीनियर रेजीडेंट	कुल
जोधपुर	एण्डोक्रायनोलॉजी	1	1	1	2	5
	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	1	2	3
	GI सर्जरी	1	1	2	2	6
	मेडिकल ऑन्कोलोजी	1	1	1	2	5
	ऑन्को सर्जरी	1	1	2	2	6
	कार्डियोलोजी	0	0	0	2	2
	CTVS	1	1	1	2	5
	योग	5	5	8	14	32
बीकानेर	एण्डोक्रायनोलॉजी	1	1	1	2	5
	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	0	2	2
	GI सर्जरी	1	1	2	2	6
	मेडिकल ऑन्कोलोजी	0	0	1	2	3
	ऑन्को सर्जरी	0	0	1	2	3
	कार्डियोलोजी	0	0	0	2	2
	CTVS	0	0	0	2	2
	योग	2	2	5	14	23
अजमेर	एण्डोक्रायनोलॉजी	0	0	1	2	3
	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	0	2	2
	GI सर्जरी	0	0	1	2	3
	मेडिकल ऑन्कोलोजी	0	0	1	2	3
	ऑन्को सर्जरी	0	0	1	2	3
	कार्डियोलोजी	0	0	0	2	2
	CTVS	0	0	0	2	2
	योग	0	0	4	14	18
कोटा	एण्डोक्रायनोलॉजी	1	1	1	2	5
	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	1	2	3
	GI सर्जरी	1	1	2	2	6
	मेडिकल ऑन्कोलोजी	1	1	1	2	5
	ऑन्को सर्जरी	1	1	2	2	6
	कार्डियोलोजी	0	0	0	2	2
	CTVS	0	0	1	2	3
	योग	4	4	8	14	30

कॉलेज का नाम	विभाग	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	सीनियर रेजिडेंट	कुल
उदयपुर	एण्डोक्रायनोलॉजी	0	0	1	2	3
	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	1	2	3
	GI सर्जरी	0	0	1	2	3
	मेडिकल ऑन्कोलोजी	1	1	2	2	6
	ऑन्को सर्जरी	1	1	2	2	6
	कार्डियोलोजी	0	0	0	2	2
	CTVS	0	0	0	2	2
	योग	2	2	7	14	25
जयपुर	एण्डोक्रायनोलॉजी	0	0	1	2	3
	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	0	2	2
	GI सर्जरी	1	1	0	2	4
	मेडिकल ऑन्कोलोजी	1	1	0	2	4
	ऑन्को सर्जरी	1	1	0	2	4
	कार्डियोलोजी	0	0	0	2	2
	CTVS	0	0	0	2	2
	योग	3	3	1	14	21
महायोग		16	16	33	84	149

शर्तें—

- उपर्युक्त पदों का वेतन, निर्धारित योग्यता एवं भरने की प्रक्रिया विभागीय सेवा नियमानुसार तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए की जावे।
- विभागीय सेवा नियमों के आधार पर ही पदों पर भर्ती प्रक्रिया का निर्धारण/प्रारम्भ इस प्रकार से किया जावे कि आवश्यक पदों हेतु कार्मिक सुपर स्पेशियलिटी हेतु आवश्यक उपकरण एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही, नियुक्त किये जा सकते हैं ताकि बिना कार्य निष्पादन के भुगतान/अनावश्यक निष्फल व्यय वहन नहीं करना पड़े।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152200211 दिनांक 03.03.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(इकब्राहिम खान)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग।
- आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/ कोटा/ उदयपुर/जयपुर।
- संयुक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- नोडल ऑफिसर, वेबसाइट निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- अनुभागाधिकारी (एस), चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव